

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्र.प.3(77)नवि/3/2010पार्ट-III

जयपुर दिनांक 10 APR 2014

आदेश

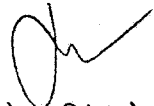
विषय :- राज्य में निजी आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप योजनाओं में ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्ड/आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में - अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के मॉडल नं. 1 तथा टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत मार्गदर्शन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.10 में ग्रुप हाउसिंग योजना के जिन प्रकरणों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण किया जाना है, उनमें प्रोत्साहन एफ.ए.आर. 0.50 देने का निर्णय लिया गया था। आदेश के बिन्दु सं. 3.70 में प्रावधान को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था :-

नवीन आवेदित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासीय इकाईयों का प्रावधान किये जाने पर बिन्दु सं. 3.7 के अनुसार मानक एफ.ए.आर. $1.33 + 0.50$ प्रोत्साहन एफ.ए.आर. = 1.83 एफ.ए.आर. बिना बैटरमेन्ट लेवी के अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान है।

जयपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य निकायों द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.10, 3.70 तथा जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित) के प्रावधानों बाबत मार्गदर्शन चाहा गया है। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है :-

“निजी आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण किये जाने हेतु विकासकर्ता द्वारा एफ.ए.आर. 1.33 तक निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराये जाने पर एफ.ए.आर. 1.83 (मानक एफ.ए.आर. $1.33 +$ अतिरिक्त प्रोत्साहन एफ.ए.आर. 0.50) बिना बैटरमेन्ट लेवी के अनुज्ञेय किया जावें। उक्त प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने वाला एफ.ए.आर. 0.50 अधिकतम देय एफ.ए.आर. 2.25 के अतिरिक्त देय होगा।”


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय